न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. तलकाराम पुत्र हंसाजी जाति लौहार निवासी वासन, तहसील रेवदर जिला सिरोही		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर
2. खुमाराम पुत्र धरमाजी जाति लौहार निवासी वासन तहसील रेवदर जिला सिरोही		2. उपखण्ड अधिकारी रेवदर
		3. चमनाराम पुत्र जेठाराम जाति लौहार निवासी वासन तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से
श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

–: निर्णय :–

दिनांक:– 28.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/1341–43 दिनांक 29.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम वासन के खसरा नम्बर 805 रकबा 11.03 बीघा की भूमि पर अपीलाण्ट्स का पुराना कब्जा काश्त है। चूंकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम दर्ज नहीं होने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्रदान कराने का अनुतोष चाहा है, जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 28.07.2009 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का पुश्तैनी कब्जा काश्त मानते हुए प्रकरण में आवंटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए है। उक्त तथ्यों की रेस्पोडेन्ट्स को बखूबी जानकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इसी वादस्थ आराजी में से 5 बिस्वा भूमि सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने एवं पम्पिंग सेट स्थापित करने हेतु आवंटन कराने हेतु आवेदन पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस समय उपखण्ड अधिकारी रेवदर का पद रिक्त था एवं अतिरिक्त चार्ज के रूप में तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

रेवदर, उपखण्ड अधिकारी के कार्य देख रहे थे, उन्हे किसी प्रकार का आदेश पारित करने अथवा आवंटन करने का क्षैत्राधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी उन्होने विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में भूमि आवंटन किया है, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पुश्तैनी कब्जा काश्त था, इस कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम वासन के खसरा नम्बर 803 रकबा 4.03 बीघा की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की सह खातेदारी भूमि है। इस भूमि के समीप ही खसरा नम्बर 805 की भूमि आई हुई स्थित है। खसरा नम्बर 805 में से 4 बीघा भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का पुराना कब्जा काश्त है। जिस भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में हुआ है, वहां लगभग 23 वर्ष पूर्व चमनाराम द्वारा कुंआ खुदवाया है एवं पम्पिंग सेट स्थापित किया है। रेस्पोडेन्ट ने जैर अपील विवादित आराजी में से 5 बिस्वा भूमि आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। वकील अपीलाण्ट का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में जो आवंटन हुआ है, वह आवंटन तहसीलदार द्वारा किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आवंटन तहसीलदार द्वारा नहीं किया जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रेवदर से मौका रिपोर्ट तलब की है, जिसमें मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कब्जा काश्त होना बताया है, उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं न ही अपीलाण्ट का उक्त भूमि से कोई सरोकार है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कब्जा काश्त है, जिसे कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। जहां तक उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णित वाद का प्रश्न है, तो अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश ही नहीं किया है, जो आवंटन नियमन की सिफारिश से ताल्लुख रखता हो। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को आवंटन होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा भूमि पर विद्युत सम्बन्ध हासिल करने की कार्यवाही की है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे एवं न ही जैर अपील आदेश से किसी भी प्रकार से व्यथित है, इस कारण अपीलाण्ट को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ही नहीं है। इन समस्त कारणों से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी सह खातेदारी भूमि के समीप होना बताते हुए उक्त आराजी में से 5 बिस्वा भूमि को कुंआ खोदने एवं पम्पिंग सेट स्थापित करने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

नियम 1979 के तहत भूमि आवंटन कराने का निवेदन किया, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रेवदर से जांच रिपोर्ट तलब की एवं तहसीलदार रेवदर द्वारा आवंटन की सिफारिश करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आवंटन की सिफारिश सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया है एवं उपखण्ड अधिकारी का पद रिक्त होने से अतिरिक्त चार्ज के रूप में उपखण्ड अधिकारी के पदीय दायित्वों का निर्वाहन भी तहसीलदार द्वारा ही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है अथवा नहीं ? यह एक विधिक प्रश्न है। इस सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 29 महत्वपूर्ण है, जिसका हू–ब–हू उद्धरण इस प्रकार है –

29. Temporary absence of Officers.— Where an officer is temporarily absent from his duties -

(a) any other officer of equal grade functioning at his head-quarters or, if there be no officer of an equal grade there, any other officer of a superior grade so functioning or, if there be no such superior officer, any other officer of an inferior grade so functioning shall, without relinquishing his ordinary duty, assume charge of the office of the absentee officer and shall continue in charge thereof until the office is assumed by another officer duly appointed thereto and while in such charge, perform the routine duties of the absentee officer.

इस धारा के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होताहै कि हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के पद रिक्त अथवा अनुपस्थिति की दशा में तहसीलदार अपने सामान्य कर्तव्य को त्यागे बिना अनुपस्थित अधिकारी के पद का कार्यभार देख रहे थे। नियमों के अनुसार इस दशा में जो अधिकारी ऐसा प्रभाव वहन कर रहा है, वह अनुपस्थिति अधिकारों के चलाऊ (routine) कर्तव्यों का ही निर्वहन कर सकता है। भूमि का आवंटन करना चलाऊ (routine) कर्तव्यों के निर्वहन की परिभाषा में शुमार नहीं होता है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो किसी भी स्थिति में समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/1341–43 दिनांक 29.10.2013 को अपास्त किया जाता है तथा भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश तहसीलदार रेवदर को दिये जाते है। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार रेवदर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही